REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229451 CG-DL-E-06092021-229451

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 3320]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

का.आ. 3623(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, खंड-3 उप खंड-(ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

इस अनुसूची में, क्रम सं. 572 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
	सं.	
(1)	(2)	(3)
572	167के	तेलंगाना राज्य में कलवाकुर्थी के निकट रारा-167 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर नागरकुरनूल, कोल्लापुर, रामपुर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में मांडुगुला,
		शिवपुरम, करिवेना, नांदयाल, कनाला, चिंताला, कोइलाकुन्तला, नोस्साम,
		जम्मालामदुगु के निकट रारा-67 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला
		राजमार्ग।

तालिका

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3381(अ), दिनांकित 18 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/3/2021-पी एंड एम-(पीटी.2)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

S.O. 3623(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 572 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:----

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
572	167K	The highway starting from its junction with NH-167 near Kalwakurthy connecting Nagarkurnool, Kollapur, Rampur in the state of Telengana, Mandugula, Sivapuram, Karivena, Nandyal, Kanala, Chintala, Koilakuntla, Nossam and terminating at its junction with NH-67 at Jammalamadugu in the state of Andhra Pradesh.

TABLE

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3381 (E), dated 18th August, 2021.

[F. No. NH-14012/3/2021-P&M(Pt.2)]

RAJESH GUPTA, Director